Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parti or Pleaders where necessary
08 1c	Case No.	
23-08-17	राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।	To also
	फरियादी एवं आहत शत्रुहनसिंह एवं करू उर्फ कित्यानसिंह उपस्थित। फरियादी एवं आहत की ओर से प्रकरण में राजीनामा की संमावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संमावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।	
STEP AS	उमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।	
20/15	उमयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्राशिक्षता मध्यस्था श्री मौहम्मद अजहर, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।	
	अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके आधवकताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उमयपक्ष दिनांक 23.08.17 को 3 बंजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 30	
	प्रकरण आगामी दिनांक 30.08.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।	
	Judicial Magistrate Prist Class Gohad distributed M.P.Jon	
	पुनश्च:	
	उभयपक्ष पूर्ववत्।	
	प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत। फरियादी एवं आहत शत्रुहनसिह एवं करू उर्फ कलियानसिंह द्वार राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320–2, द0प्र0स0 एवं राजीनामा आवेदन फरियादी एवं आहत के हस्ताक्षर, सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गई।	
Mark Harry	उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया। फरियाद एवं आहत की ओर से अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किय जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमित वेन में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के समर्थन में फरियादी का कथन अंकित किय गया।	

Order Sheet [Contd] Case No. 2 2 28 // Grant 20 3 - W

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अमियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 341, 323, 506 माग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अमियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अमियुक्त को धारा 294, 341, 323, 506′ माग दो भा०द०वि० के अपराध आरोगों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अमियुक्त की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है। अमियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार में प्रेषित हो। Judicial प्रकरण अमिलेखागार	Jechentol Jechentol Lime